(ग) मांग बढ़ने के बावजूद कम कोटा एलाट करने के क्या कारण हैं ;

(घ) इस वर्ष इस कार्य के लिए माल डिब्बों की मांग कितनी है और उसमें से कितने माल डिब्बे एलाट किये जा चुके हैं तथा शेष माल डिब्बे कब एलाट करने का विचार है ;

(ङ) चूंकि नमक पिघलने वाली वस्तु है अतः क्या उसके लिए माल डिब्बे मांग के अनुसार एलाट किये जायेंगे; और

(च) क्या प्रति वर्ष बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उक्त स्टेशन पर बुकिंग सहित कोटे में स्थायी आधार पर वृद्धि कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) संतालपुर स्टेशन पर रेलों से भेजे जाने के लिए मुख्यतः कार्यक्रम बाह्य नमक एवं थोड़ी मात्रा में औद्योगिक नमक आता है । वर्ष 1976 के दौरान 596 माल डिब्बों में से 590 माल डिब्बों में कार्यक्रम बाह्य और 6 माल डिब्बों में औद्योगिक नमक का लदान हुआ था तथा वर्ष 1977 के दौरान 807 माल डिब्बों में से 780 माल डिब्बों में कार्यक्रम बाह्य नमक और 27 माल डिब्बों में औद्योगिक नमक लादा गया था ।

(ख) फिलहाल प्रति महीने दो माल डिब्बों का कोटा आवंटित किया गया है ।

(ग) नमक कमिश्नर की सिफारिशों के अनुसार जोनल योजना के अधीन उच्च प्राथमिकता वाले श्रेणी 'बी' और 'सी' के विभिन्न स्टेशनों से कार्यक्रम बाह्य नमक के संचालन के लिए निर्धारित कोटे देश में खाद्य नमक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं । अतः प्राथमिकता श्रेणी 'ड़' के अन्तर्गत रेल द्वारा कार्यक्रम बाह्य नमक के संचलन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए । लेकिन रेल द्वारा कुछ कार्यक्रम बाह्य नमक की ढुलाई की भी अनुमति दी गई है ।

(घ) चालू वर्ष 1978 (फरवरी 1978 तक) के दौरान, 58 माल डिब्बों की मांग में से, 49 माल डिब्बों—10 माल डिब्बों में कार्यक्रम बाह्य और 39 माल डिब्बों में औद्योगिक नमक लादे गये थे । शेष मांगें, प्राथमिकता के अनुसार पूरी की जायेंगी ।

(ङ) अब भी नमक आयुक्त द्वारा की गई मांग के अनुसार नमक की ढुलाई होती है ।

(च) चूंकि उच्च प्राथमिकता के अधीन निर्धारित किये गये कोटे के अन्तर्गत मांगें संतोषजनक रूप से पूरी की जाती हैं, इसलिए वरीयता यातायात अनुसूची की मद 'ड़' के अधीन कोटा बढ़ाने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

पटना से चलने वाली रेलगाड़ियां

4443. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या पटना से शुरू होने वाली यात्री गाड़ियां रोज पुनपुन नदी के उत्तर में रोकी जाती हैं, जिससे रेल गाड़ियां गया बहुत देर से पहुंचती हैं ;

(ख) क्या इस पद्धति को रोकने के लिए वह प्रबन्ध करेंगे; और

(ग) क्या गया और पटना के बीच चलने वाली रात की यात्री गाड़ियों में दुस्साहसपूर्ण डकैतियां डाली जाती हैं और 1 मार्च, 1977 से मार्च, 1978 की अवधि तक के बीच रेल गाड़ियों को रोक कर कितनी डकैतियां डाली गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। पटना से चलने वाली सवारी गाड़ियां कभी-कभी बदमाशों द्वारा पुन पुन नदी के उत्तर की ओर रोक ली जाती हैं जिसके फलस्वरूप ये गाड़ियां गया में बिलम्ब से पहुंचती है ।

(ख) चल टिकट परीक्षकों की टुकड़ियां तथा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर के पटना-गया खंडों पर विशेष छापे मारे जा रहे हैं ।

(ग) 9-6-1977 को 23 अप रांची-पटना एक्सप्रेस में डकैती को केवल एक घटना हुई थी जिसमें अपराधियों ने डकैती डालने के बाद भागने के लिए हौसपाइप काट कर गाड़ी रोक दी थी ।

पहले दर्जे के डिब्बों में पुलिस कर्मचारी

4444. डा० रामजी सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रा करने वाले पुलिस कर्मचारी सामान्यत: कहीं भी और विशेषकर बिहार में यात्रा करते समय पहले दर्जे के डिब्बों के दरवाजों को बन्द कर लेते हैं तथा उनमें सो जाते हैं जिससे वास्तविक यात्रियों को असुविधा होती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस बारे में पुलिस विभाग से बातचीत करने तथा ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए मिल कर छापे मारने का है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को रेल कर्मचारियों के नाम से अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिना टिकट यात्रा करने के बारे में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Bench of Madras High Court

4445. SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will the Minister of LAW JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the local Bar and Bench of Madras High Court; Madurai propose to set up a Bench at Madras High Court;

(b) if so, when; and

(c) if not, the reasons thereof ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) to (c) The State Government made a proposal in 1973 for the establishment of a Bench of the Madras High Court or at least a Camp-Court at Madurai. They had intimated at that time that the Bar Council, Madurai and a few other Bar Associations of the State had also represented that a Bench may be constituted in the Southern part of the State. The State Government had further mentioned that the reaction of the High Court of Madras to the proposal was not favourable. Subsequently, when the State came under President's rule, it was felt that it may not be desirable to take any view in the matter when the State was under President's rule, and that the proposal should be dropped for the time being. The State Government were addressed accordingly in February 1977. In September, 1977, the State Government have again made a proposal for the establishment of a bench of the Madras High Court at Madurai. The State Government have been requested to ascertain and communicate the views of the Chief Justice of the Madras High Court in this regard.

Railway Track lost in Andhra

4446. SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the total loss to railway track in Andhra Pradesh due to cyclone and amount spent so far to repair it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : Total loss to railway tracks (including track signalling) is about Rs. 81 lakh. An expenditure of about 40 lakhs has been incurred so far for repair and restoration.